Schedule XLII- No. (J)9a [Old (M) 164.]

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II,-सह- विशेष न्यायाधीश साईबर क्राईम केस, देवघर।

साईवर थाना काण्ड संख्या- 51/2025

राज्य बनाम् पंकज कुमार दास एवं अन्य

1. Misc. Crl. APPl. No.- 685/2025 and CNR No. JHDG010015582025	**पवन दास**
2. Misc. Crl. APPl. No.- 692/2025 and CNR No. JHDG010015812025	**चंदन कुमार दास उर्फ चंदन दास**
3. Misc. Crl. APPl. No.- 693/2025 and CNR No. JHDG010015822025	**संजीत कुमार दास**
4. Misc. Crl. APPl. No.- 735/2025 and CNR No. JHDG010016502025	**शैलेश कुमार दास एवं बिक्रम कुमार उर्फ बिक्रम कुमार दास**
5. Misc. Crl. APPl. No.- 743/2025 and CNR No. JHDG010016582025	**नितेश कुमार दास**
6. Misc. Crl. APPl. No.- 803/2025 and CNR No. JHDG010018072025	**दीपक कुमार दास**
7. Misc. Crl. APPl. No.- 914/2025 and CNR No. JHDG010020572025	**पंकज कुमार दास**

Serial no.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	17.05.2025	काराधीन अभियुक्तगण **1. पवन दास, 2. चंदन कुमार दास उर्फ चंदन दास, 3. संजीत कुमार दास, 4. शैलेश कुमार दास, 5. बिक्रम कुमार उर्फ बिक्रम कुमार दास, 6. नितेश कुमार दास, 7. दीपक कुमार दास एवं 8. पंकज कुमार दास** का जमानत आवेदन आज संचालित किया गया। आवेदनों के प्रति विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, देवघर को पूर्व में दिया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक- 27.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं कि अभियुक्तों ने कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र किसी भी सत्र न्यायालय या माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में प्रस्तुत नहीं किया है। अभियुक्तों पर लगाया गया सारा आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है और अभियुक्तों को इस केस में झूठा फँसाया गया है। अभियुक्तों के पास से बरामद मोबाईल उनका स्वयं का है। उनके पास से कोई भी जालसाजी करने का कागजात बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शक के आधार पर अभियुक्तों को इस केस में झूठा फंसाया है। अभियुक्तगण दिनांक- 27.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण स्थानीय जमानतदार देने को भी तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत	लगातार

लगातार पेज संख्या-02

17.05.2025

पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, देवघर उक्त जमानत आवेदनों का विरोध करते है।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचक (पु०अ०नि०) घनश्याम गंझु के टंकित प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध साईवर थाना काण्ड संख्या-51/2025, दिनांक-26.03.2025 को बी०एन०एस० की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) एवं आई०टी० एक्ट की धारा-66(B), 66(C), 66(D), 84(C) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्राथमिकीनुसार संक्षिप्त विवरण यह है कि सूचक को गुप्त सूचना मिला था, जिसके आधार पर देवीपुर थाना अंतर्गत ग्राम मुण्डा-मुण्डी स्थित जंगल झाड़ी के पास छापामारी करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. पवन दास, 2. चंदन कुमार दास उर्फ चंदन दास, 3. संजीत कुमार दास, 4. शैलेश कुमार दास, 5. बिक्रम कुमार उर्फ बिक्रम कुमार दास, 6. नितेश कुमार दास, 7. दीपक कुमार दास एवं 8. पंकज कुमार दास एवं एक अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया था। उक्त सभी अभियुक्तों की बारी-बारी से तलाशी लेने पर **अभियुक्त पवन दास** के पास से 1. ब्लू कलर विवो एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 866094069716138 866094069716120 जिसमें जियो मो०न०- 8709818305 लगा हुआ तथा मोबाईल कवर के पीछे एयरटेल मो०न०- 9199015252 बरामद किया गया, **अभियुक्त चंदन कुमार दास उर्फ चंदन दास** के पास से 1. ब्लू कलर विवो एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 861615053893957 861615053893940 जिसमें जियो मो०न०- 6200721105, 6200652520 लगा हुआ बरामद किया गया, **अभियुक्त संजीत कुमार दास** के पास से 1. व्हॉईट कलर ओप्पो एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 869054057215052 869054057215045 जिसमें जियो मो०न०- 6200713313 लगा हुआ, 2. ब्लैक कलर ओप्पो एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 862835068660311 862835068660303 जिसमें जियो मो०न०- 9263631563 लगा हुआ बरामद किया गया, **अभियुक्त शैलेश कुमार दास** के पास से 1. परपल कलर रीयलमी एन्ड्रायड

लगातार

	लगातार पेज संख्या-03 **17.05.2025**	मोबाईल IMEI No. 863958065931151 863958065931144 जिसमें एयरटेल मो०न०- 7585929271 लगा हुआ बरामद किया गया, **अभियुक्त बिक्रम कुमार उर्फ बिक्रम कुमार दास, पे०- नरेश दास** के पास से 1. ग्रीन कलर ओप्पो एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 863055068658517 863055068658509 जिसमें जियो सिम मो०न०- 9608075689 लगा हुआ बरामद किया गया, **अभियुक्त नितेश कुमार दास** के पास से 1. ब्लैक कलर ओप्पो एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 864483075375371 864483075375363 जिसमें जियो मो०न०- 9079959368 लगा हुआ बरामद किया गया, **अभियुक्त दीपक कुमार दास** के पास से 1. गोल्डेन कलर रीयलमी एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 864412063859013 864412063859005 जिसमें जियो मो०न०- 7879468289 लगा हुआ बरामद किया गया एवं **अभियुक्त पंकज कुमार दास** के पास से 1. स्कॉय ब्लू कलर रीयलमी एन्ड्रायड मोबाईल IMEI No. 862490059519355 862490059519348 जिसमें जियो मो०न०- 8619279568 लगा हुआ बरामद किया गया। बरामद किये गये समानों के बारे में पूछने पर सभी अभियुक्तों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिये। उसके बाद बरामद समानों को जप्त कर, जप्ती सूची तैयार कर, सभी अभियुक्तों एवं जप्त सामानों को साईबर थाना लाया गया। अभिलेख का पुनः अवलोकन किया। पुनः अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त **पवन दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(09), 53 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल नम्बर 9199015252 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका Ack. No. 32704240021017 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त है। अभियुक्त **चंदन कुमार दास उर्फ चंदन दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०-02(03), 47 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI नम्बर 861615053893957 के विरुद्ध	लगातार

	 17.05.2025	क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका क्रमशः Ack. No. 33106240082994, 33107240084822, 33107240084837, 31410240002385, 33110240123435 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त है। अभियुक्त **संजीत कुमार दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(02), 46 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI नम्बर 869054057215052 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका क्रमशः Ack. No. 30503250018463, 30503250019814, 33106240070390, 22706240023695, 30506240023416, 30512240056512, 32501250002922 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त हुआ है, जिससे जप्त मोबाईल न०- 6200713313 रेखा देवी के नाम से है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है, जो फर्जी एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। अभियुक्त **शैलेश कुमार दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(04), 48 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल नम्बर 7585929271 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका Ack. No. 21909240101496 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त हुआ है, जिससे जप्त मो०न० 7585929271 Sk Urfan के नाम से है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है, जो फर्जी एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। अभियुक्त **अभियुक्त बिक्रम कुमार उर्फ बिक्रम कुमार दास, पे०- नरेश दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(05), 49 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल नम्बर- 9608075689 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका क्रमशः Ack.	लगातार

	 17.05.2025	No. 21909240101496, 32502240003358 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त है। अभियुक्त **नितेश कुमार दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(10), 54 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल नम्बर- 9079959368 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका Ack. No. 30503250020146 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त हुआ है, जिससे जप्त मो०न०- 9079959368 विजय कुमार मिणा के नाम से है, जो फर्जी प्रतीत होता है। अभियुक्त **दीपक कुमार दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(07), 51 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI नम्बर- 864412063859005 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका Ack. No. 33102250019567 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के मेल प्राप्त हुआ है, जिससे जप्त मो०न०- 7879468289 Mannu Raikwar के नाम से है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है, जो फर्जी एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। अभियुक्त **पंकज कुमार दास** के स्वीकारोक्ति बयान एवं काण्ड दैनिकी के पारा न०- 02(1), 45 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI नम्बर- 862490059519355 एवं मो०न० 8619279568 के विरुद्ध क्राईम लिंक पाया गया है, जिसका क्रमशः Ack. No. 21903250034618, 31903250051917, 33112240158515 है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है। अभियुक्त के पास से जप्त मोबाईल के IMEI एवं मोबाईल नम्बरों का सी०डी०आर० एवं CAF संबंधित टेलीकॉम पर सर्विस प्रोवाईडर के	लगातार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II,-सह- विशेष न्यायाधीश साईबर क्राईम केस, देवघर।

साईवर थाना काण्ड संख्या- 51/2025

राज्य बनाम् पंकज कुमार दास एवं अन्य

	 17.05.2025	मेल प्राप्त हुआ है, जिससे जप्त मोबाईल न०- 8619279568 महेश कुमार चौधरी के नाम से है, जिसका डिटेल्स प्राप्त है, जो फर्जी एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही प्रतीत होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध सीधा एवं स्पष्ट आरोप है कि वह सभी फर्जी कस्टमर केयर पदाधिकारी बनकर लोगों से साईबर ठगी करने का अपराध करता था। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित बी०एन०एस० की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) एवं आई०टी० एक्ट की धारा-66-B, 66-C, 66-D, 84-C जो कि गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति के हैं। साथ ही वाद में अनुसंधान अभी जारी है। अतः वाद के तथ्यों, उपरोक्त परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मैं आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. पवन दास, 2. चंदन कुमार दास उर्फ चंदन दास, 3. संजीत कुमार दास, 4. शैलेश कुमार दास, 5. बिक्रम कुमार उर्फ बिक्रम कुमार दास, 6. नितेश कुमार दास, 7. दीपक कुमार दास एवं 8. पंकज कुमार दास** को जमानत पर मुक्त करना न्याय हित में उचित प्रतीत नहीं समझता हूँ। अतः अभियुक्तों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है। इसी के साथ **एम०सी०ए० न०- 685/2025, 692/2025, 693/2025, 735/2025, 743/2025, 803/2025 एवं 914/2025** को निष्पादित किया जाता है। **लेखापित** **हस्ता०/-** **(अशोक कुमार न०-III)** जिला अपर सत्र न्यायाधीश-II -सह-विशेष न्यायाधीश, साईबर क्राईम केस, देवघर।	